नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रमांक :–भूमि/एफ.7(ड)/( ) डीएलबी/11/ 6064 **दिनांकः** 8-8-12

कार्यालय आदेश

विषयः– प्रशासन शहरों के संग अभियान से संबंधित कार्यो की तैयारी के अन्तर्गत नगरीय निकायों हेतु एम्पेनल किये गये डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस द्वारा किये जा रहे कार्यो को गति प्रदान करने के संबंध में।

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प. 10(228) नविवि/3/10 दिनांक 21.09.2011 के तहत नगरीय निकायों में डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में विस्तृत आदेश प्रसारित किये गये थे तथा जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, समस्त नगर विकास न्यासों एवं अन्य समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों हेतु डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस को एम्पेनल किया गया था। इन डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस से **मुख्यतया "प्रशासन शहरों के संग अभियान"** के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य करवाये जाने थे। तत्पश्चात नगरीय निकायों में कार्यो की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नये डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस को सम्मिलित करते हुये आदेश क्रमांक प.10(228) नविवि/3/10 दिनांक 01.08.2012 के तहत संशोधित सूची जारी की जा चुकी है तथा सभी डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस की नियुक्ति दिनांक 31 मार्च, 2013 तक प्रभावी की गई है।

उपरोक्त कार्यो की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 05.04.2012 को निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग के बैठक कक्ष में प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशकों एवं डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस को भी आमंत्रित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 24.06.2012 को ओ.टी.एस. सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया गया एवं माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग के स्तर से मार्गदर्शन हेतु भी विस्तृत चर्चा की गई।

अतः उपरोक्तानुसार गहन समीक्षा के पश्चात डेडीकेटेड कन्सलटेण्ट द्वारा किये जा रहे कार्यो को गति प्रदान करने एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने हेतु एतद् द्वारा निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते है।

(i) राज्य सरकार द्वारा सभी नगरीय निकायों के क्षेत्रों में इसी वर्ष ''प्रशासन शहरों के संग अभियान'' प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें इन समस्त क्षेत्रों में आम नागरिकों के लम्बित कार्यो का निष्पादन सुनिश्चित किया जावेगा एवं इस कार्य में डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस की सक्रिय भूमिका रहेगी तथा सभी नगरीय निकाय एवं डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस समन्वित रूप से इस अभियान के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो की प्रारम्भिक तैयारी पूर्ण कर ले ताकि अभियान के दौरान, आमजन की अधिकांश समस्याओं का समाधान संभव हो सके एवं राज्य सरकार की मंशा पूर्ण हो सके।

(ii) समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग अपने स्तर पर उनके क्षेत्राधीन नगरीय निकायों के अधिकारियों एवं डेडीकेटेड कन्सलटेण्ट्स की समन्वय बैठक समय-समय पर आयोजित करेगे, बैठक में मुख्यालय से अति. निदेशक एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, स्थानीय निकाय विभाग भी उपस्थित रहेगे तथा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि समस्त नगरीय निकायों में डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस के माध्यम से किये जाने वाले कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ कर कार्यो को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके।

(iii) समस्त नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करेगे कि डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस के माध्यम से आदेश क्रमांक प.10(228) नविवि/3/10 दिनांक 21.09.2011 एवं 30.09.2011 में वर्णित आईटम नं. (1) से (7) से संबंधित किये जाने वाले कार्य इकजाई रूप से चिन्हित कर लिये जावे तथा कन्सलटेण्ट्स को इन कार्यो की सूचि के साथ ग्राउन्ड स्तर पर किये जाने वाले वास्तविक सर्वे क्षेत्र को नगर मानचित्र पर अथवा मौका/स्थल का निरीक्षण कर सर्वे की जाने वाली भूमि का सीमांकन का कच्चा/पक्का मानचित्र उपलब्ध करावे, ताकि **नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि पर बसी समस्त अनाधिकृत कोलोनियों, कच्ची बस्तियों, राजकीय भूमि एवं स्टेट ग्राण्ट एक्ट के तहत पट्टे दिये जाने संबंधी भूमि से संबंधित समस्त कार्य चिन्हित किया जाकर प्रारम्भ किया जा सके।** अतः समस्त नगरीय निकाय इन कार्यो को पूर्ण चिन्हिकरण कर कार्यादेश शीघ्र ही आगामी पन्द्रह दिवसों में संबंधित कन्सलटेण्ट्स को जारी करना सुनिश्चित करेगे, इस संबंध में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया जावे। संबंधित डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस को नगर निकाय में सम्पर्क करने हेतु सूचित किया जा रहा है।

(iv) कृषि भूमि पर बसी अनाधिकृत कोलोनियों एवं कच्ची बस्तियों का संबंधित नगरीय निकाय द्वारा यदि पूर्व में ही किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से पी.टी. सर्वे/टोटल स्टेशन सर्वे किया जा चुका है परन्तु ले आउट प्लान तैयार नहीं किया गया है अथवा ले-आउट प्लान तैयार करवा लिया गया है परन्तु उसका अनुमोदन नहीं करवाया गया है अथवा ले-आउट प्लान का अनुमोदन सक्षम स्तर से करवाया जा चुका है परन्तु उनमें नियमन की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है अथवा ऐसे ले-आउट प्लान जो पूर्व में अनुमोदित किये जा चुके है, परन्तु उनमें आवेदकों द्वारा पट्टे ही प्राप्त नहीं किये गये है एवं वर्तमान

परिस्थितियों में उन ले-आउट के वस्तुस्थिति भिन्न हो चुकी है, से संबंधित समस्त ले आउट प्लान को एकीकृत किया जाना अनिवार्य होगा अथवा नगरीय निकायों से संबंधित ऐसी योजनाऐं जिनके कम्प्यूटराईज्ड नक्शे उपलब्ध नहीं है, ऐसे समस्त सर्वे/ले-आउट प्लान संबंधित डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस को उपलब्ध कराया जाकर ऐसी कॉलोनियों का मौके से सतयापन पश्चात भूखण्डवाईज पत्रावलियॉ तैयार करायी जावेगी तथा सर्वे एवं ले-आउट प्लान को डिजिटाईज करवाया जाकर कम्प्यूटराईज्ड रिकार्ड संधारित किया जायेगा। जिन नगरीय निकायों में उपरोक्तानुसार कार्य करवाया जावेगा उन कार्यो बाबत डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस को किये जाने वाले भुगतान हेतु आदेश पृथक से जारी किये जा रहे है।

(v) जिन नगरीय निकायों में बस्तियों के टोटल स्टेशन सर्वे एवं ले-आउट प्लान तैयार हो चुके है उनमें राजस्व खसरा सीमाओं के राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापन हेतु आ रही समस्या को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया गया कि इस संबंध में समस्त जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्व कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त किया जावे। यदि मौके पर किसी बस्ती में हो चुके निर्माण अथवा अन्य किन्ही कारणों से राजस्व खसरा सीमाओं का सत्यापन संभव नहीं हो तो यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि बस्ती में किसी प्रकार का प्रतिबन्धित क्षेत्र सम्मिलित नहीं है एवं नियमन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावे।

(vi) जिन नगरीय निकायों में डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस द्वारा टोटल स्टेशन सर्वे व ले-आउट प्लान तैयार किये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है उनमें संबंधित नगरीय निकाय द्वारा मौके पर सत्यापन पश्चात् ले-आउट अनुमोदन की प्रक्रिया तुरन्त प्रारम्भ कर दी जावे ताकि अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुरूप भूखण्डों की पत्रावलियॉ संबंधित कन्सलटेण्ट्स द्वारा तैयार की जा सके एवं नियमन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सके। इस हेतु ले-आउट प्लान को संबंधित जिला/उप/वरिष्ठ नगर नियोजक की तकनीकी राय हेतु प्रेषित किया जावे एवं अधिकतम 10 दिवस में तकनीकी राय प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं 10 दिवस पश्चात राय प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ले-आउट प्लान कमेटी की बैठक आयोजित कर ले-आउट प्लान का अनुमोदन कराया जावे। इस कार्य में किसी भी स्तर पर विलम्ब पाया जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावे। यदि किसी कृषि भूमि के नियमन में प्रारूप/स्वीकृत मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अपेक्षित है तो इस बाबत संबंधित नगरीय निकाय द्वारा राजस्थान (नगर पालिका) भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के तहत अविलम्ब कार्यवाही पूर्ण कर ली जावे। ताकि अभियान से पूर्व समस्त अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण हो सके।

(vii) जिन बस्तियों (कृषि भूमि पर बसी अनाधिकृत कोलोनियों एवं कच्ची बस्ती) का सर्वे एवं ले-आउट प्लान तैयार हो चुका है उनका मौकेसे सत्यापन संबंधित नगरीय निकाय के कनिष्ठ अभियन्ता एवं कन्सलटेण्ट्स के तकनीकी कर्मचारी की संयुक्त टीम द्वारा किया जाकर सत्यापन पर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावेगा एवं बिल भुगतान हेतु संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा रूफिडको को अग्रेषित किया जावेगा तथा आदेश दिनांक 30.09.2011 में निर्धारित दरे एवं चरण अनुसार देय राशि का भुगतान किया जा सकेगा। दिनांक 26.06.2012 के पश्चात जारी कार्यादेश में भुगतान आदेश दिनांक 26.06.2012 के तहत निर्धारित दरों पर दिया जावेगा।

(viii) नियमन संबंधी प्रकिया में समानता रखे जाने हेतु आवेदन पत्र शपथ पत्र, ले-आउट प्लान एवं लीजडीज के स्टेण्डर्ड फोर्मेट स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी किये जावेगे ताकि समस्त नगरीय निकार्यो में कार्य की समानता रह सके। उपरोक्तानुसार स्टेण्डर्ड फोर्मेट जारी किये जाने वाली तिथि से लागू होगे तथा पूर्व में की जा चुकी कार्यवाही में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।

(ix) डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस द्वारा अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत कराये जा रहे कार्यो के बारे में कई नगरीय निकार्यो द्वारा पॉलिसी के मॉडल नं 1 के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किये जाने का कार्य करवाये जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 21.09.2011 एवं 30.09.2011 मे मॉडल नं. 2 एवं 4 का ही उल्लेख है एवं दरों का निर्धारण भी तदनुसार ही किया गया है जबकि कार्य की प्रकृति तीनों मॉडलस यथा 1, 2 एवं 4 में समान ही है। अतः इस बाबत निर्णय लिया गया है कि जिन नगरीय निकार्यो में राजस्व भूमि स्थानान्तरित हुई है उनमें निम्नानुसार कार्यवाही की जावे।

अ. भूमि का टोटल स्टेशन सर्वे।

ब. ले-आउट प्लान, मास्टर प्लान, भू-उपयोग परिवर्तन (यदि आवश्यक है तो) एवं ले-आउट प्लान का अनुमोदन (सक्षम समिति/स्तर से)।

स. अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के मॉडल नं. 1 के तहत परियोजना प्रस्ताव एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ले-आउट प्लान इस प्रकार तैयार किया जावे कि इसमें भविष्य में मॉडल नं. 4 के तहत भी कार्यवाही की जा सके, योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुसार नगरीय निकाय द्वारा योजना की कियान्विति, स्वयं के स्तर पर/राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्टेक्चर लि. के माध्यम से अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुरूप की जावेगी। इस संबंध में पृथक से भी विस्तृत आदेश जारी किये जावेगे तथापि इस संबंध में किये जाने वाले कार्या हेतु डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस को कार्य का भुगतान मॉडल नं. 4 के अनुरूप आदेश क्रमांक प.10(228) नविवि/3/10 दिनांक 26.06.2012 के तहत निर्धारित दर के अनुसार किया जा सकेगा।

(x) जिन डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस के कार्यो के बिल प्रमाणीकरण पश्चात भुगतान हेतु रूफिडको में अग्रेषित हो चुके है उनको भुगतान की प्रकिया प्रारम्भ की जा चुकी है। रूफिडको द्वारा प्रमाणित बिल अनुसार कन्सलटेण्ट्स को सीधे ही भुगतान किया जा रहा है एवं भुगतान की सूचना संबंधित नगरीय निकाय को भी दी जावेगी। डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस को किये जाने वाले कार्यो एवंबिल भुगतान के प्रमाणीकरण हेतु प्रस्ताव नगरीय निकायों के मंडल की बैठक में रखे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित नगर निकाय के आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/सचिव कार्य का बिल प्रमाणीकरण पश्चात अपने स्तर से सीधे ही रूफिडको को भुगतान हेतु अग्रेषित करना सुनिश्चित करेगे।

(xi) डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस द्वारा अवगत कराया गया था कि नगरीय निकायों द्वारा आईटम नं.1 से 7 के अतिरिक्त आईटम नं. 8 के तहत निम्न प्रकार के कार्यो को किये जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है :-

- बस स्टेण्ड योजना/ट्रान्सपोर्ट नगर योजना।
- पार्को/उद्यानों की लेण्डस्केपिंग योजना।
- नगरीय निकायों के भवनों यथा कार्यालय भवन, सामुदायिक भवन के आर्किटेक्चरल डिजाईनिंग का कार्य
- चौराहो/सड़कों के सौन्दर्यकरण की योजना
- प्रोपर्टी सर्वे
- लेक कन्जर्वेशन प्रोजेक्ट/हैरीटेज कन्जर्वेशन प्रोजेक्ट
- स्टेडियम, खेल मैदान आदि की योजनाऐं आदि।

यद्यपि उपरोक्त कार्यो के संबंध में दरों आदि बाबत निर्णय नहीं होने के कारण कार्यो का सम्पादन नहीं हो पा रहा है तथापि कुछ कन्सलटेण्टस द्वारा दरों के निर्णय की अपेक्षा में कार्य भी कर दिया जा चुका है। इस संबंध में संबंधित नगर निकाय व डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस आपसी सहमति के माध्यम से दर तय कर कार्य करवा सकते हैं। किन्तु यह सुनिश्चित किया जावे कि दर का निर्धारण सामान्यतया प्रचलित दरों से अधिक न हो एवं किये जाने वाले कार्य नगरीय निकाय की आवश्यकता के अनुरूप हो। अतः संबंधित नगरीय निकायों जिनके द्वारा उपरोक्त कार्य करवाये जा चुके है। ऐसी नगरीय निकाय संबंधित कन्सलटेण्ट से आपसी सहमति के आधार पर दर कर निर्धारण कर किये गये कार्यो हेतु भुगतान की प्रकिया प्रारम्भ कर सकेगे।

(xii) यह तथ्य भी सामने आया है कि कई नगरीय निकायों में डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस द्वारा किये गये प्रयासों के पश्चात भी नगरीय निकायों के संबंधित अधिकारियों द्वारा रूचि नहीं लिये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है तथा नगरीय निकायों द्वारा डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस को लिखित में सूचित कर दिया है कि

उनके निकाय में कोई कार्य नहीं है इस बाबत संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग इस संबंध में नगरीय निकाय से विस्तृत जानकारी प्राप्त करे एवं यह सुनिश्चित करे कि डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस के माध्यम से करवाये जाने वाले कार्य समय पर सम्पादित हो एवं उनके क्षेत्र में नियमन आदि संबंधी कार्यो हेतु आवश्यक कार्यवाही शेष नहीं रहे। संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक इस बाबत पालना रिपोर्ट सुनिश्चित करेगे।

(xiii) कुछ नगरीय निकायों में डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस लगाये जाने से पूर्व में कार्यो के टेण्डर आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके है, अतः ऐसे नगरीय निकाय स्वीकृत टेण्डर की सीमा तक पूर्व मे जारी कार्यादेश के अनुरूप कार्य जारी रख सकेगे तथा शेष अन्य कार्य डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस से करवाये जावेगे।

(xiv) जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण तथा नगर विकास न्यासों यथा भीलवाड़ा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, भिवाड़ी आदि जहॉ अभी तक डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस के माध्यम से कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है या विशेष प्रगति नहीं हुई है वे अपने-अपने अधीन क्षेत्र को जोन्स में विभाजित कर संबंधित डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस के माध्यम से शीघ्र कार्य प्रारम्भ करे ताकि प्रशासन शहरों के संग अभियान से पूर्व समस्त तैयारी पूर्ण हो सके।

(xv) समस्त डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस से अपेक्षा की जाती है कि वे तत्काल प्रभाव से सक्रिय हो कार्यादेश प्राप्त कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दें अन्यथा उनके स्थान पर अन्य इच्छुक डेडीकेटेड कन्सलटेण्टस को संबंधित नगरीय निकाय का कार्य आवंटित कर दिया जावेगा।

(xvi) कुछ नगरीय निकायों के क्षेत्रों से योजना क्षेत्रों में बस चुकी कच्ची बस्तियों के सर्वे एवं नियमन की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो पा रही है। अतः इस बाबत क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग ऐसी कच्ची बस्तियों के संबंध में प्रस्ताव निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कराने हेतु संबंधित नगरीय निकायों को निर्देशित करें।

प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास,
आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :–भूमि/एफ.7(ड)/( ) डीएलबी/11/ 6065- 6111 दिनांकः 8-8-12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. अध्यक्ष नगर विकास न्यास (समस्त)।
4. उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राज्य के समस्त निकायों को आदेश की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु उचित कार्यवाही करें।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), जयपुर।
8. निदेशक (आयोजना), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक (प्रोजेक्टस), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10. निदेशक (अभियान्त्रिकी), जयुपर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर
12. कार्यकारी अधिकारी, आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ.ए, जयपुर।
13. प्रबन्ध निदेशक, आवास विकास लिमिटेड, जयपुर।
14. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर।
17. मुख्य अभियन्ता, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
18. मुख्य अभियन्ता (मु0), नगरीय विकास विभाग, नगर विकास न्यास, कोटा।
19. प्रभारी अधिकारी, राजकॉम्प, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश एवं संलग्नक सूची को www.udhrajasthan.gov.in पर अपलोड करें।

निदेशक एवं शासन उप सचिव
स्वायत्त शासन विभाग